तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज कमलसिंह बनाम रोती बगै०	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
10/03/25	पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर है। पूर्वानुसार 7/4/25 को पेश हो।	
7/4/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 8/4/25 को पेश हो।	
8/4/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित अधि० वादी की पुन बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 17/4/25 को पेश हो।	
17/4/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित पत्रा० वास्ते आदेश दिनांक 1/5/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	
01/05/2025	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित। वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
वाद पत्र कमांकः— 107/2017

1. कमलसिंह
2. दिनेश पुत्रान बुद्धि जाति जाटव निवासी नगला धौर तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....वादीगण

बनाम

1. तोती पुत्र गुदी जाति जाटव निवासी नगला धौर तहसील उच्चैन (मृतक)
   1/1 सूरज
   1/2 कपूर पुत्रान तोती जाति जाटव निवासी नगला धौर तहसील उच्चैन
   1/3 श्यामा पुत्री तोती पत्नि रामवीर जाति जाटव निवासी इरा तहसील किरावली यू.पी
2. शिवचरन
3. हरिश्चन्द पुत्रान गुदी जाति जाटव निवासी नगला धौर तहसील उच्चैन
4. दिगम्बर पुत्र फगुनी जाति जाटव निवासी नगला धौर

.....असल प्रतिवादीगण

5. कलुआ पुत्र रामखिलाडी
6. नरेशचन्द दत्तक पुत्र पूरन
7. गोविन्दसिंह पुत्र बुद्धि समस्त जातियान जाटव निवासी नगला धौर तहसील उच्चैन ।

.....तरतीवी प्रतिवादीगण

.....अप्रार्थीगण

दावा अर्न्तगत धारा 188 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री मुकेश चन्द शर्मा एडवोकेट

निर्णय **दिनांकः—01.05.2025**

प्रार्थी ने यह वाद पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 263 रकवा 3बीघा 19 विस्वा बाके ग्राम फतेहपुर तहसील उच्चैन के वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है उक्त आराजी से किसी दीगर मौतबिरान का कभी किसी भी हैसियत से कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है और नाहि आज है लेकिन प्रतिवादीगण मुकदमेबाज लठैत व राजनीतिक पहुंच बाले व्यक्ति है जिसका नाजायज लाभ उठाकर वादी की उक्त आराजी को येन केन हडपना चाहते है। दिनांक 07.09.2017 को वादीगण अपनी

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजी की देखभाल करने गये तो प्रतिवादीगण मौके पर आ गये और उक्त वर्णित आराजी से मिट्टी खोदकर आराजी में गड्ढे करने लगे और आराजी को नाकाविल काश्त करने की धमकी दी एवं प्रतिवादीगण ने वादीगण के हक हकूको को भी मानने से इंकार कर दिया इसलिये वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधज्ञा का लाना आवश्यक हो गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 5 वावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी संख्या 6 व 7 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में पेश हुये एवं जवाव पेश नहीं करना चाहा इसलिए प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का जवाव वंद किया गया। वादी की ओर सी पीडब्लू 1 कमलसिंह एवं पीडब्लू 2 समयसिंह ने शपथ पत्र पेश किये। तहसीलदार उच्चैन से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार मौके पर विवादित खसरा नम्वर के कुछ रकवा में रवी की फसल की वुवाई हो रखी है एवं शेष रकवा पडत पडा हुआ है। अभिभापक वादी की वहस एकपक्षीय सुनी गई अभिभापक वादी ने अपनी में वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वाद पत्र में वर्णित उक्त विवादित आराजी वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 लगा0 7 की आराजी है उक्त आराजी को प्रतिवादी संख्या 1लगा0 4 ने विना किसी अधिकृत अनुमति के उक्त आराजी में से मिट्टी उठाना चालू कर दिया एवं आराजी को नाकाबिल काश्त करने की कोशिश की। प्रतिवादीगण की कोई भी जमीन वादीगण की आराजी की चपेट एवं पडोस में नहीं है वादीगण शक्तिशाली व्यक्ति है जिसका फायदा उठाते हुये हमारी आराजी को नाकाबिल काश्त करने की कोशिश कर रहे है। प्रतिवादी असल को स्थाई निषेधज्ञा से पावंद किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की वहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ पेश राजस्व रिकार्ड एवं शपथ पत्र आदि का अवलोकन किया गया। वादीगण का वाद विरूद्ध असल प्रतिवादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आदेश हैः—

वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 4 को जरिये स्थाई निषेधज्ञा पावंद किया जाता कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 263 रकवा 3 बीघा 19 विस्वा बाके ग्राम फतेहपुर(मुताबिक जमाबंदी सम्बत् 2069—2072) तहसील उच्चैन में वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की आराजी में शान्तिपूर्वक काश्त के उपयोग व उपभोग में किसी भी प्रकार कोई बाधा कारित ना करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 01.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुश्री भारती गुप्ता(आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उपउच्चैन भरतपुर